2012:सीजीएचसी:9389-डीबी

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा और
माननीय न्यायाधीश श्री राधे श्याम शर्मा ।

दण्डिक अपील क्रमांक 68/2001

अपीलार्थी : पोयामी बिज्जू

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचारार्थ प्रस्तुत
सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री राधे श्याम शर्मा
मैं सहमत हूँ

सही /-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

दिनांक **29.06.2012** को निर्णय सुनाए जाने हेतु सुचिबद्ध करें ।

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

2012:सीजीएचसी:9389-डीबी

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा और
माननीय न्यायाधीश श्री राधे श्याम शर्मा ।

दण्डिक अपील क्रमांक 68/2001

अपीलार्थी : पोयामी बिज्जू, उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता पुत्र पोयामी फागनू, व्यवसाय - लोहार, निवासी ग्राम कोटरापाल, थाना भैरमगढ़, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ ।

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **374 (2)** के तहत दण्डिक अपील)

उपस्थित :

अपीलार्थी की ओर से : सुश्री निरुपमा बाजपेयी, अधिवक्ता ।
राज्य की ओर से : श्री वी.के. श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता ।

निर्णय
(आज दिनांक 29.06.2012 को दिया गया)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा द्वारा दिया गया ।

1. यह अपील सत्र न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 21/98 में दिनांक 15 नवंबर, 2000 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत है । उक्त निर्णय में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है

और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है ।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :-

गांगी (अ.सा. - 6) मृतक मंका की पत्नी हैं । वे दोनों कोटरापाल गांव में साथ रहते थे । दिनांक 29.10.1997 को लगभग 16:00 बजे मांडवी हुंगा (अ.सा. - 1) ने मर्ग सूचना (प्रदर्श पी – 10) और प्राथमिकी (प्रदर्श पी – 6) दर्ज कराया और बताया कि गांगी (अ.सा. - 6) ने उन्हें बताया कि दिनांक 28.10.1997 की रात को अपीलार्थी उनके घर आया और मृतक पर हमला किया, जिससे मृतक को कई गंभीर चोटें आईं और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । यह घटना मृतक द्वारा अपीलार्थी को छिंदरस (एक स्थानीय नशीला पेय) देने से इनकार करने के कारण हुई, जिसकी अपीलार्थी बार-बार मांग कर रहा था । विवेचना अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पंचों को सूचना दी और मृतक के शव का मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श पी - 1) तैयार किया । शव को मृत्युसमीक्षा के लिए पीएचसी भैरमगढ़ भेजा गया । मृत्युसमीक्षा डॉ. अमर सिंह सेंद्रम (अ.सा. – 5) द्वारा किया गया । उन्होंने मृतक के शव पर अनेक नीलांगु और केट हुये घाव (कुल 7 चोटें) देखे । आंतरिक जांच में पाया गया कि दाहिनी ओर की दूसरी, तीसरी और चौथी पसलियों में अस्थि-भंग थे । दाहिना फेफड़ा भी क्षतिग्रस्त था । चोट संख्या 6 और 7 के नीचे दोनों अग्रबाहुओं में अस्थि-भंग थे । मृत्युसमीक्षा सर्जन ने राय दी कि चोट संख्या 1 से 4 धारदार हथियार से लगी थीं और शेष चोटें कठोर और कुंद वस्तु से लगी थीं । चोट संख्या 1 से 4 प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं । मृत्यु का कारण चोट संख्या 1 से 4 के कारण हृदय-श्वसन अवरोध था और मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी । मृत्युसमीक्षा प्रतिवेदन प्रदर्श पी-13 है । आगे की जांच में, अपीलार्थी को हिरासत में लिया गया और दिनांक 29.10.1997 को उसके कब्जे से एक डंडा और चाकू जबती पत्रक प्रदर्श पी-3 के माध्यम से किया गया । हालांकि जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल, रायपुर भेजा गया था, लेकिन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एफएसएल रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकी ।

3. अभियोजन पक्ष का मामला गांगी (अ.सा. - 6) के एकमात्र साक्ष्य पर आधारित था । वह घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह थीं । गांगी (अ.सा. - 6) दिनांक 8 सितंबर, 1998 को सत्र न्यायालय के समक्ष पेश हुईं । उनकी मुख्य परीक्षा पूरी हो चुकी थी । हालांकि, अपीलार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण, बचाव पक्ष द्वारा उनसे प्रतिपरीक्षण नहीं की जा सकी और माननीय सत्र न्यायाधीश ने प्रतिपरीक्षण का अधिकार बचाव पक्ष के पास सुरक्षित रखते हुए यह नोट किया कि यह अपीलार्थी के 'जोखिम और जिम्मेदारी' पर होगा । इसके बाद दिनांक 9 सितंबर 1998 को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत एक आवेदन दायर किया । यह आवेदन स्वीकार कर लिया गया और गांगी (अ.सा. - 6) को प्रतिपरीक्षण के लिए समन / नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया गया । दिनांक 10 जनवरी 1998 को भेजा गया नोटिस गांगी (अ.सा. - 6) को दिनांक 31 जनवरी 1998 को पेश होने के लिए दिया गया था । हालांकि, नोटिस मिलने के बावजूद गांगी (अ.सा. - 6) उक्त तिथि को सत्र न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुईं । इसके बाद, उन्हें कई नोटिस / जमानती वारंट भेजे गए, लेकिन उनमें से कोई भी उन तक नहीं पहुंच सका और अंततः मामला बंद कर दिया गया और फैसला सुनाया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. सत्र न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि गांगी (अ.सा. - 6) द्वारा मुख्य परीक्षा में दर्ज किया गया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बचाव पक्ष को उससे प्रतिपरीक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया और यह माना कि गांगी (अ.सा. - 6) द्वारा मुख्य परीक्षा में दर्ज किया गया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत स्वीकार्य है । इस प्रकार विद्वान सत्र न्यायाधीश ने गांगी (अ.सा. - 6) की एकमात्र गवाही पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई ।

5. अपीलार्थी की ओर से पेश हुई विद्वान अधिवक्ता सुश्री निरुपमा बाजपेयी ने तर्क दिया है कि सत्र न्यायाधीश ने गांगी (अ.सा. - 6) की प्रतिपरीक्षण किए बिना ही उनकी गवाही स्वीकार करने में विधिगत त्रुटि की है; अपीलार्थी को उनसे प्रतिपरीक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया; उनकी गवाही साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत स्वीकार्य नहीं थी; इसलिए, केवल गांगी (अ.सा. - 6) की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता ।

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान शास्किय अधिवक्ता श्री वी. के. श्रीवास्तव ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का समर्थन किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात विस्तार से सुनी है और सत्र न्यायालय के अभिलेखों का भी अध्ययन किया है ।

8. गांगी (अ.सा. - 6) घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी थीं । वह दिनांक 08.09.1998 को सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुईं । उसका मुख्य परीक्षण किया गया जिसमें उन्होंने घटना के बारे में बयान दिया और अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया । चूंकि उक्त तिथि को अपीलार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित थे, इसलिए माननीय सत्र न्यायाधीश ने मामले को स्थगित कर दिया और अपीलार्थी को इस गवाह से प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए यह नोट किया कि उनका यह अधिकार अपीलार्थी के 'जोखिम और जिम्मेदारी' पर होगा । गवाह की मुख्य गवाही पूरी होने के बाद यह नोट बयान पत्र में दर्ज किया गया है । इसके बाद, दिनांक 09.09.1998 को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने धारा 311 दण्ड-प्रक्रिया-संहिता के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और गांगी (अ.सा. - 6) को समन / नोटिस जारी किया गया । दिनांक 31.01.1998 की आदेश-पत्रिका से

हमें पता चलता है कि इस तारीख को पेशी के लिए समन गांगी (अ.सा. - 6) को विधिवत तामील कर दिया गया था, लेकिन समन तामील होने के बाद भी वह इस तारीख को पेश नहीं हुई और विभिन्न नोटिस और जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वह कभी भी सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई ।

9. अतः हमारे द्वार विचार किए जाने हेतु प्रश्न यह है :-

"क्या विद्वान सत्र न्यायाधीश ने गांगी (अ.सा. - 6) के उपरोक्त साक्ष्य (केवल मुख्य परीक्षा) को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 33 के तहत स्वीकार्य करने में सही थे ?"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. आइए सर्वप्रथम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सुसंगत प्रावधानों और उससे संबंधित सिद्धांतों पर एक नजर डालें ।

11. साक्ष्य अधिनियम का अध्याय **X** गवाहों की परीक्षा से संबंधित है । धारा 137 में 'मुख्य परीक्षा', 'प्रतिपरीक्षण' और 'पुनः परीक्षा' का उल्लेख है । धारा 138 परीक्षाओं के क्रम का प्रावधान करती है । इसमें कहा गया है कि गवाहों की पहले मुख्य परीक्षा होगी, फिर (यदि विरोधी पक्ष चाहे तो) प्रतिपरीक्षण होगी और फिर (यदि गवाह को बुलाने वाला पक्ष चाहे तो) पुनः परीक्षा होगी । इसमें आगे यह भी कहा गया है कि परीक्षा और प्रतिपरीक्षण सुसंगत तथ्यों से संबंधित होनी चाहिए, लेकिन प्रतिपरीक्षण उन तथ्यों तक सीमित नहीं होनी चाहिए जिन पर गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में गवाही दी थी ।

12. धारा 138 गवाहों की जांच के दौरान संबंधित पक्षों के अधिकारों की ओर संकेत करती है । बचाव पक्ष को प्राप्त प्रतिपरीक्षण का अधिकार एक स्वतंत्र अधिकार है । गवाह की मुख्य परीक्षा समाप्त होने के बाद इस अधिकार से संबंधित विधिक परिणाम होते हैं । गवाह की प्रतिपरीक्षण का मूल उद्देश्य उसकी सत्यता की जांच करना और बचाव

पक्ष को सत्य को असत्य से पृथक करने का अवसर देना है । प्रतिपरीक्षण की प्रक्रिया द्वारा गवाह के साक्ष्य की सत्यता की कसौटी पर जांच की जाती है ।

13. साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 प्रतिपरीक्षण के दायरे को और विस्तृत करती है और यह प्रावधान करती है कि जब किसी गवाह से प्रतिपरीक्षण की जाती है, तो उससे पिछली धाराओं में उल्लिखित प्रश्नों के अतिरिक्त, ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो उसकी सत्यता की परीक्षा लेने, उसकी पहचान और जीवन में उसकी स्थिति का पता लगाने, या उसके चरित्र को नुकसान पहुँचाकर उसकी साख को धूमिल करने का प्रयास करते हों, भले ही ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे अपराधी ठहरा सकते हों या उसे किसी दंड या जुर्माने के लिए उत्तरदायी बना सकते हों । हालाँकि, इस धारा में बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अभियोग से संबंधित एक परांतुक जोड़ा गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इस प्रकार, धारा 138 का मूल उद्देश्य गवाहों की परीक्षा के दौरान न्याय को बढ़ावा देने के लिए पक्षों को सत्य को अभिलेख पर लाने का अधिकार प्रदान करना है । अतः यह स्पष्ट है कि किसी गवाह का साक्ष्य उस पक्ष के विरुद्ध विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं होगा जिसे साक्ष्य के समय गवाह से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर नहीं मिला था ।

15. साक्ष्य अधिनियम की धारा 33, बाद की कार्यवाही में तथ्यों की सत्यता सिद्ध करने हेतु कुछ साक्ष्यों की सुसंगता से संबंधित है । इसमें प्रावधान है कि किसी न्यायिक कार्यवाही में, या विधि द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष, किसी गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य, बाद की न्यायिक कार्यवाही में, या उसी न्यायिक कार्यवाही के बाद के चरण में, उसमें वर्णित तथ्यों की सत्यता सिद्ध करने के उद्देश्य से सुसंगत है, जब गवाह की मृत्यु हो गई हो, या वह न मिल सके, या साक्ष्य देने में असमर्थ हो, या विरोधी पक्ष द्वारा उसे कार्यवाही से दूर रखा गया हो, या यदि उसकी उपस्थिति में

इतना विलंब या व्यय हो कि न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उसे अनुचित समझे । धारा 33 का परंतुक यह स्पष्ट करता है कि धारा 33 के प्रावधानों को लागू करने के लिए तीन महत्वपूर्ण शर्तें आवश्यक हैं :-

(i) कि पिछली कार्यवाही उन्हीं पक्षों के बीच हुई हो;

(ii) कि पहली कार्यवाही में विरोधी पक्ष को प्रतिपरीक्षण करने का 'अधिकार और अवसर' प्राप्त था; और

(iii) कि दोनों कार्यवाही में विचाराधीन प्रश्न सारतः समान थे ।

धारा 33 के संपूर्ण प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त तीनों शर्तों में से किसी एक के भी अभाव में धारा 33 लागू नहीं होगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. धारा 33 के परंतुक में ऊपर उल्लिखित दूसरी शर्त दो अलग-अलग कारकों के बारे में बात करती है । वे हैं - 'प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार और अवसर' । इससे यह स्पष्ट होता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों को लागू करते समय, न्यायालय को 'प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार और अवसर' के प्रश्न पर विचार करना होगा और उसके बाद ही उचित मामलों में इसे लागू करना होगा ।

17. इस मामले में, गांगी (अ.सा. - 6) दिनांक 08.09.1998 को सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुईं और उनकी मुख्य परीक्षा पूरी हो गई तथा मामले को स्थगित कर दिया गया, जिसमें अपीलार्थी के प्रतिपरीक्षण का अधिकार सुरक्षित रखा गया और यह नोट किया गया कि प्रतिपरीक्षण अपीलार्थी के जोखिम और जिम्मेदारी पर होगी । इसके बाद, अपीलार्थी की ओर से धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर आवेदन को भी स्वीकार कर लिया गया और गांगी (अ.सा. - 6) को प्रतिपरीक्षण के लिए समन / सूचना जारी करने के आदेश पारित किए गए । गांगी (अ.सा. - 6) को दिनांक

31.01.1998 को उपस्थित होने के लिए नोटिस तामील किया गया । तामील के बाद भी, वह उक्त तिथि को उपस्थित नहीं हुईं और फिर बाद में नोटिस और जमानती वारंट जारी करके उनकी उपस्थिति के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन वह अंत तक उपस्थित नहीं हुईं । सत्र न्यायाधीश ने यह माना है कि चूंकि गांगी (अ.सा. - 6) से प्रतिपरीक्षण करने का अपीलार्थी का अधिकार अपीलार्थी के जोखिम और जिम्मेदारी पर आरक्षित था, इसलिए यदि वह उपस्थित नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि अपीलार्थी को वह अधिकार दिया गया था और उसने उसका उपयोग किया है तथा गांगी (अ.सा. - 6) द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत स्वीकार्य होंगे ।

18. आपराधिक न्यायशास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रक्रियात्मक विधि किसी आरोपी के जोखिम और जिम्मेदारी पर लागू हो । प्रक्रियात्मक विधि को अपना मार्ग स्वयं की कार्यवाही होनी चाहिए । अपीलार्थी पूरे समय जेल में था । साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के दिन उसका अधिवक्ता अनुपस्थित था । यदि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में माननीय सत्र न्यायाधीश ने गवाह से प्रतिपरीक्षण करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया होता, तो गवाह को प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित होना आवश्यक था और यदि गवाह प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी ने अपने अधिकार और अवसर का लाभ उठाया क्योंकि उसने मुख्य परीक्षा के दिन गवाह से प्रतिपरीक्षण करना उचित नहीं समझा । हम देखते हैं कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, अपीलार्थी ने गांगी (अ.सा. - 6) को नोटिस तामील कराने का प्रयास किया और उन्हें दिनांक 31.01.1998 को पेशी के लिए नोटिस तामील कराया गया, लेकिन नोटिस तामील होने के बाद भी वे न्यायालय में प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुईं । इस प्रकार, साक्षी गांगी (अ.सा. - 6) की ओर से उनकी चूक थी कि वे प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुईं । ऐसी स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता कि गलती अपीलार्थी की थी, बल्कि यह माना जाएगा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि उन्होंने प्रतिपरीक्षण के अधिकार और अवसर का लाभ उठाया । हम एक ऐसे मामले का उदाहरण ले सकते हैं जिसमें मुख्य परीक्षा पूरी होने के बाद समय की कमी के कारण गवाह की प्रतिपरीक्षण संभव नहीं हो पाती और न्यायालय प्रतिपरीक्षण के लिए गवाह की उपस्थिति की दूसरी तारीख तय करता है, और उस तारीख या बाद की तारीखों पर गवाह उपस्थित नहीं होता है । ऐसी स्थिति में, क्या ऐसे गवाह का साक्ष्य स्वीकार्य होगा ? इसका उत्तर सीधा 'नहीं' होगा, क्योंकि बचाव पक्ष द्वारा गवाह से प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया थी । यह सामान्यतः सभी न्यायालयों में किया जाता है । इस मामले में स्थिति लगभग समान है । इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गांगी (अ.सा. - 6) को पेशी के लिए समन / सूचना विधिवत तामील कराई गई थी, लेकिन तामील होने के बाद भी वह प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुईं । हमारा मत है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के अनिवार्य प्रावधानों को देखते हुए, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी ने गांगी (अ.सा. - 6) से प्रतिपरीक्षण करने के अपने अधिकार और अवसर का लाभ उठाया था और उसका साक्ष्य (मुख्य परीक्षा) साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत स्वीकार्य थी । इस प्रकार, विद्वान सत्र न्यायाधीश साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत गांगी (अ.सा. - 6) के उपरोक्त साक्ष्य को स्वीकार करने में सहीं नहीं थे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. गांगी (अ.सा. - 6) के उपरोक्त साक्ष्य के अलावा, इस मामले में कोई अन्य साक्ष्य नहीं है । अन्य सभी गवाह (पुलिस गवाहों और डॉक्टर को छोड़कर) पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है । यहां तक कि मांडवी हुंगा (अ.सा. - 1), जिसने प्राथमिकी (प्रदर्श पी-6) और मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-10) दर्ज कराई थी, वह भी पक्षद्रोही हो गई है । यदि गांगी (अ.सा. - 6) के साक्ष्य को ध्यान में न रखा जाए, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपित आरोपों के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए कोई अन्य साक्ष्य नहीं है ।

20. मामले के इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में असमर्थ हैं ।

21. उपरोक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है । अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दी गई दोषसिद्धि और दंडदेश अपास्त की जाती है । अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी दिनांक 12.11.1997 से जेल में है । ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.03.2006 को पारित दंडदेश के निलंबन आदेश का लाभ नहीं उठा सका । यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. यह मामला अधिवक्ता श्री सुधीर बाजपेयी द्वारा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (एचसीएलएससी) के माध्यम से दायर किया गया था । बाद में, उन्हें उप शास्कीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया । फिर एचसीएलएससी की पैनल में शामिल अधिवक्ता सुश्री निरुपमा बाजपेयी ने इस मामले में पेश होकर पैरवी की । इसलिए, एचसीएलएससी द्वारा देय कोई भी शुल्क अब अधिवक्ता सुश्री निरुपमा बाजपेयी को भुगतान किया जाएगा ।

सही /-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

सही /-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.